उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

संख्या–वे0आ0–2–224 / दस–2009–54(एम) / 2008टी0सी0

लखनऊः दिनांकः 02 फरवरी, 2009

संकल्प

पढ़ा गया : वेतन समिति (2008) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियाँ।

पर्यालोचनार्थ– शासन द्वारा वेतन समिति के तृतीय प्रतिवेदन में जूनियर डाक्टर्स के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर विचार किया गया। शासन ने वेतन समिति के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को निम्नानुसार स्वीकार कर लिया है :––

(1) प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों तथा डेन्टल मेडिकल कालेजों में लागू रेजीडेन्सी योजना के अन्तर्गत कार्यरत जूनियर रेजीडेन्टस तथा सीनियर रेजीडेन्टस के पदों हेतु समिति द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा संबंधित पद पर आने की तिथि, जो भी बाद में हो, से काल्पनिक आधार पर वेतन निर्धारित करते हुए दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से वास्तविक / नकद भुगतान किया जायेगा।

(2) आयुर्वेदिक विभाग के स्नातकोत्तर छात्रों को प्रतिवेदन के प्रस्तर–19(क)(1) तथा 19(क)(4) में की गयी संस्तुतियों के अनुसार जूनियर रेजीडेन्टस के पदों हेतु संस्तुत पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा संबंधित पद पर आने की तिथि, जो भी बाद में हो, से काल्पनिक आधार पर वेतन निर्धारित करते हुए दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से वास्तविक / नकद भुगतान किया जायेगा।

(3) राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एव यूनानी मेडिकल कालेजों में पी0 जी0 पाठ्यकम संचालित होने की दशा में संबंधित स्नातकोत्तर छात्रों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन, प्रतिवेदन के प्रस्तर–19(क)(1) तथा 19 (क)(4) में की गयी संस्तुति के आलोक में सामान Considerations के आधार पर, निर्धारित किये जायेंगे।

(4) प्रदेश के समस्त मेडिकल कोलेजों तथा डेन्टल मेडिकल कालेजों में जूनियर / सीनियर रेजीडेन्टस के पदधारकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के साथ शासनादेश संख्या–2239 / 71–3–08–सी.एम.यू.–34 / 2008, दिनांक 30 जुलाई, 2008 तथा शासनादेश संख्या–2243 / 71–3–08–सी.एम.यू.–34 / 2008, दिनांक 30 जुलाई, 2008 के अनुसार निर्धारित दरों पर प्रैक्टिस बन्दी भत्ता दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य कराया जायेगा।

(5) प्रदेश के समस्त मेडिकल कोलेजों तथा डेन्टल मेडिकल कालेजों में लागू रेजीडेन्सी योजना के अन्तर्गत कार्यरत जूनियर / सीनियर रेजीडेन्टस के पदधारकों को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता राजकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित दरों / व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त यदि अन्य कोई भत्ता / सुविधा उक्त पदों पर पूर्व से अनुमन्य हो तो वह भत्ता / सुविधा वर्तमान दर पर मिलती रहेगी।

(6) इस संकल्प के जारी होने के दिनांक से प्रदेश के सभी चिकित्सा विश्वविद्यालय / मेडिकल कालेजों / डेन्टल मेडिकल कालेजों में जूनियर / सीनियर रेजीडेन्टस के पदों पर भर्ती तथा पदों का सृजन पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही किया जायेगा।

(7) उपर्युक्त के सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया जायेगा।

5/2/09

(8) वेतन समिति के तृतीय प्रतिवदेन में जूनियर डाक्टर्स के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति विषयक आदेश संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अलग–अलग वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जायेंगे।

(9) वेतन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा समिति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जिस परिश्रम, अध्यवसाय व निष्ठा से अपना गुरूतर दायित्व निर्वहन करते हुए यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, शासन उसकी सराहना करता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन–साधारण की सूचना के लिए उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित किया जाये। संकल्प तथा वेतन समिति का तृतीय प्रतिवेदन वित्त विभाग की वेबसाइट पर रखा जाये और सम्बन्धित विभागों को भी भेजा जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि वेतन समिति के तृतीय प्रतिवेदन तथा संकल्प की प्रतियॉ, सम्बन्धित सेवा संघो और जनता के लिए बिकी हेतु उपलब्ध रखी जायें।

आज्ञा से,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–224(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रतिवेदन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6. सचिवालय के सम्बन्धित विभागों के सम्बन्धित अनुभाग।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।